



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

फाल्गुन 4, गुरुवार, शक 1933-फरवरी 23, 2012
Phalgun 4, Thursday, Saka 1933-February 23, 2012

भाग 1 (ख)
महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।
वन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 9, 2012

संख्या प.3(16)वन/2009 :- वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53), जो कि भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना संख्या एफ 11014/3/72-एफ आर वाई./डब्ल्यू एल.एफ. दिनांक 01 सितम्बर, 1973 से राजस्थान राज्य पर लागू किया जा चुका है, की धारा 36 ए की शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं स्थानीय समुदायों एवं संबंधित ग्राम पंचायत से परामर्श के पश्चात् राज्य सरकार वन खण्ड रघुनाथगढ़, जो राज्य सरकार की अधिसूचना पत्रांक एफ 1(6) (19) राज-8/73 दिनांक 21-06-73 द्वारा राजस्थान वन अधिनियम, 1953 के अधीन रक्षित वन घोषित किया जा चुका है, की सम्पूर्ण रक्षित वन भूमि जिसकी सीमाएं निम्न अनुसूची में वर्णित हैं, को परिस्थितिकीय व प्राणीजातीय, वनस्पतीय भू-संरचना संबंधित नैसर्गिक एवं प्राणी शास्त्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए एतद्वारा "कन्जरवेशन रिजर्व" घोषित करती है। इसे भविष्य में "शाकम्भरी कन्जरवेशन रिजर्व" के नाम से जाना जावेगा एवं जो उक्त अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों या जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों का विषय होगा। शाकम्भरी कन्जरवेशन रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 13100 हैक्टर है जिसमें से 8070 हैक्टर क्षेत्र सीकर जिले में तथा 5030 हैक्टर क्षेत्र झुंझुनू जिले में अवस्थित है।

अनुसूची

उत्तरी सीमा	:-	रक्षित वनखण्ड रघुनाथगढ़ की उत्तरी सीमा
दक्षिणी सीमा	:-	रक्षित वनखण्ड रघुनाथगढ़ की दक्षिणी सीमा
पूर्वी सीमा	:-	रक्षित वनखण्ड रघुनाथगढ़ की पूर्वी सीमा
पश्चिमी सीमा	:-	रक्षित वनखण्ड रघुनाथगढ़ की पश्चिमी सीमा

राज्यपाल की आज्ञा से,
सी.एस. रत्नासामी,
शासन सचिव,
वन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

राजेन्द्र कुमार हुड्डा
उप वन संरक्षक,
झुंझुनू